## न्यायालय:– विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 36 / 2015 संस्थित दिनांक-01 / 10 / 2009 फाईलिंग नंबर-230303002752009

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र गोहद जिला–भिण्ड (म०प्र०) ----अभियोजन

वि रू द्ध

- दिलीप सिंह पुत्र अहबरन सिंह गुर्जर, उम्र 30 साल
- इन्द्रपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह गुर्जर, 2-उम्र-26 साल निवासीगण ग्राम आलौरी थाना गोहद. जिला भिण्ड म.प्र. .....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपीगण द्वारा श्री भगवतीप्रसाद राजौरिया अधिवक्ता।

-::- <u>निर्णय</u> -::-(आज दिनांक 14 जुलाई 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

- अभियुक्त दिलीप सिंह के विरूद्ध धारा 393/398 सहपठित धारा–34 भादवि व धारा–25 आयुध अधिनियम तथा धारा–11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आरोपी इंद्रपाल सिंह के विरूद्ध धारा 393 / 398 सहपठित धारा-34 भादवि सहपठित धारा-11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत आरोप है कि उन्होंने दि. -08 / 06 / 2009 को दिन के 3:30 बजे सहआरोपी के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में परिवादी लियाकत खां को बिल्हटी रोड चितौराबाग के खार की पुलिया के अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में खटकेदार रामपूरी चाकू दिखाकर लूटने का प्रयत्न किया एवं आरोपी अहिबरन बिना अनुज्ञिप्ति के खटकेंदार चाकू सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में रखा पाया गया ।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि 2.

दिनांक-08 / 06 / 2009 को थाना गोहद के प्रधान आरक्षक एम0एल0 मौर्य को सूचना मिलने पर वह प्र.आर. नरेन्द्र पाल व अन्य पुलिस बल के साथ शासकीय वाहन से ग्राम चितौरा बस स्टेण्ड पहुंचा, तब उसे फरियादी लियाकत खां ने सूचना दी कि वह ग्राम पिपरसाना से अपने गांव चितौरा आ रहा था कि चितौरा खाद के खार की पुलिया रोड पर दिन के करीब 3:15 बजे पहुंचा तब पुलिया के नीचे से दो लडके निकलकर सडक पर आ गये और दोनों ने उसे पकड लिया तथा एक बदमाश जिसके दाढी थी, अपनी जेब से खटकेदार रामपुरी चाकू निकालकर बोला कि निकाल तेरे पास कितने पैसे हैं, तब तक फरियादी के गांव की तरफ से रामनारायण, रणवीर सिंह, राजेश शर्मा आ गये, जिनको देखकर बदमाश भागने की कोशिश करने लगे तो फरियादी व उसके गांव के लोगों ने उन्हें पकड लिया नाम पता पूछा तो उन्होने अपने नाम इन्द्रपाल पुत्र रघुवीर व दिलीप पुत्र अहबरन गुजर निवासी ग्राम आलौरी का होना बताये । तब फरियादी के साथ के लोगों ने थाना मोबाइल से सूचना की कि वह लोग चितौरा बस स्टेण्ड पर हैं ।

- 3. उक्त आशय की देहाती नालिसी मौके पर अपराध कमांक—0/09 धारा—393 भादिव. धारा—25 बी.ए. आयुध अधिनियम व धारा—11, 13 डकैती अधिनियम के तहत लिखी गयी व प्रकरण असल कायमी हेतु थाना गोहद की ओर भेजी जाकर थाना गोहद में अपराध कमांक—135/2009 धारा—383 भादिव0 25 बी आयुध अधिनियम एवं धारा—11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत प्रदर्श पी.—10 लेखबद्ध की गयी एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त दिलीप सिंह के विरूद्ध धारा 393/398 सहपठित धारा—34 भादवि व धारा—25 आयुध अधिनियम तथा धारा—11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आरोपी इंद्रपाल सिंह के विरूद्ध धारा 393/398 सहपठित धारा—34 भादवि सहपठित धारा—11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में उन्होंने रंजिशन झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
  - 1— क्या आरोपीगण के द्वारा दि.—08/06/2009 को दिन के 3:30 बजे अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अन्य

सह अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से लूट की घटना का प्रयत्न किया ?

- 2— क्या, आरोपीगण द्वारा उक्त सुसंगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी लियाकत खां के आधिपत्य से रूपये की लूट खटकेदार रामपुरी चाकू दिखाकर करने का प्रयत्न किया ?
- 3— क्या आरोपी दिलीप उक्त सुसंगत घटना, दिनांक व स्थान पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के एक खटकेदार रामपुरी चाकू रखे पाये गये ?

## \_::-निष्कर्ष के आधार -::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में लियाकत खां (अ०सा०–1), गिर्राज सिंह (अ०सा०–2), अभिनेन्द्र सिंह उर्फ अभिनंदन सिंह (अ०सा०–3), रणवीर (अ०सा०–4), विजय सिंह (अ०सा०5), रामनारायण पाल (अ०सा०6), एम०एल० मार्य ए.एस.आई.(अ०सा०7) एवं राजेश (अ०सा०8) की साक्ष्य कराई है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.–1 लगायत–प्रदर्श पी.–11 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं तथा बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी का अभिसाक्ष्य नहीं कराया गया है।

## विचारणीय प्रश्न कमांक-01 लगायत-03 का निराकरण

- 7. उक्त दोनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
- 8. परीक्षित साक्षियों में से कथानक मुताबिक घटना के फरियादी लियाकत खां एवं जिन व्यक्तियों के साथ मौके पर मिलकर आरोपीगण को पकड़ा गया था, वह रामनारायण, रणवीर और राजेश शर्मा घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी हैं, जिनमें से लियाकत खां अ.सा.—1 के रूप में, रणवीर अ.सा.—4 और रामनारायण अ.सा.—6 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने न्यायालयीन अभिसाक्ष्यमें कथानक का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया है । तीनों ही पक्ष विरोधी घोषित हुए हैं और पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उन्होंने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है । जबिक कथानक मुताबिक प्रदर्श पी.—1 की देहाती नालिसी अनुसार इस प्रकार की घटना बतायी गयी कि दि.—8/6/2009 को दिन के करीब 3:30 बजे जब लियाकत खां ग्राम पिपरसाना से अपने गांव चितौरा जा रहा था तो चितौरी के पास धार की पुलिया के पास रोड पर जब वह आया तो पुलिया के नीचे

से दो लडके निकलकर सडक पर आ गये और दोनों ने उसे पकड लिया तथा एक ने खटकेदार रामपुरी चाकू निकालकर उससे कहा कि उसके पास जो भी पैसे हों, निकालकर दे दो, जो हल्की दाढ़ी रखाये हुए था, तब तक गांव की तरफ से से रामनारायण बघेल, रणवीर सिंह और राजेश शर्मा आ गये तो दोनों बदमाश भागने लगे. जिन्हें उक्त लोगों की सहायता से पकडा गया और पकडकर पूछताछ की गयी, तब उन्होंने अपने नाम पते बताये, फिर थाना को मोबाइल से साथ के लोगों ने सूचना दी और उन्हें पकड़कर चितौरा बस स्टेण्ड पर लाये, जहां पुलिस को रिपोर्ट लियाकत खां ने की, जिसपर लूट के प्रयत्न के संबंध में अपराध की कायमी की गयी । किन्त् जिस प्रकार की घटना प्रदर्श पी.—1 की देहाती नालिसी रिपोर्ट में बतायी गयी है, उससे लियाकत खां अ.सा.-1 ने पूरी तरह से इंकार कर दिया है और यह कहाहै कि उसने आरोपीगण के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की, न ही वह आरोपीगण को जानता है । बल्कि प्रदर्श पी.–1 पर पुलिस ने उससे यह कहकर हस्ताक्षर करा लिये कि शराब की दुकान से संबंधित पंचनामा है, हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिये थे । उसने पुलिस को प्रदर्श पी.–2 का कथन देने से इंकार किया है । इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसके पड़ौसी गांव के होकर पूर्व परिचित हैं । इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण के दवाब, प्रभाव या प्रलोभन में आकर वह सही बात नहीं बता रहा है । प्रदर्श पी.–1 पर हस्ताक्षर उसने चितौरा बस स्टेण्ड पर शराब के ठेके की जांच का बताये जाने पर पुलिस के कहने से करना कहा है । इस तरह से स्वयं घटना का पीड़ित अ.सा.–1 कोई समर्थन नहीं कर रहा है । इस प्रकार मौके पर जिन लोगों क सहयोग से आरोपीगण को पकडा जाना बताया गया है, उसमें से रणवीर अ.सा.—4 और रामनारायण अ.सा.—6 ने कोई समर्थन नहीं किया है । रणवीर ने प्रदर्श पी.—8 और रामनारायण ने प्रदर्श पी.–9 के कथन भी पुलिस को देने से इंकार किया है।

- 9. इस तरह से सर्वाधिक महत्व के साक्षियों का कोई समर्थन अभिलेख पर नहीं है । ऐसे में अन्य परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य के आधार पर यह विश्लेषित करना होगा कि क्या शेष साक्ष्य से अभियोजन की बतायी गयी घटना युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होती या नहीं ।
- 10. आरोपीगण को पकडे जाने के उपरांत पुलिस द्वारा उनकी की गयी गिरफतारी एवं आरोपी दिलीप से प्रदर्श पी.—5 मुताबिक खटकेदार चाकू की जब्ती पर से भी अभियोजित किया गया है, जिसके पंच साक्षी विजय सिंह और गिर्राज सिंह हैं । गिर्राज सिंह अ. सा.—2 के रूप में और विजय सिंह अ.सा.—5 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने भी अपने अभिसाक्ष्य में जब्ती, गिरफतारी का कोई समर्थन

नहीं किया है । गिर्राज सिंह ने भी आरोपीगण को जानने से इंकार करते हुए उनकी किगरफतारी किया जाना या खटकेदार चाकू बरामद होने का कोई समर्थन नहीं कियाहै । इस बात से भी इंकार किया है कि वह पुलिया के पास से जब निकल रहा था, तो विजय सिंह, रणवीर सिंह और राजेश शर्मा और रामनारायण ने उसे इस बात की कोई जानकारी दी थी कि लियाकत खां को पुलिया पर से निकलते समय आरोपीगण के द्वारा चाकू दिखाकर पैसे की मांग की गयी । उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी.-3 लगायत-5 पर केवल अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं । आरोपी दिलीप सिंह खटकेदार रामपूरी चाकू पुलिस द्वारा जब्त करने से भी इंकार करता है और प्रदर्श पी. -6 का कथन भी पुलिस को देने से उसने इंकार किया है तथा यह कहता है कि चितौरा तिराहे पर वह बैठा था, तभी पुलिस ने उससे ठेके की जांच का पंचनामा बताते हुए हस्ताक्षर करा लिये थे । इसी प्रकार विजय सिंह अ.सा.–5 ने भी प्रदर्श पी.–3 लगायत–5 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं । किन्त् वह पुलिस द्वारा चितौरा गांव में कलारी पर पंचनामा बनाना बताते हुए कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लेना कहता है। इस प्रकार से जब्ती गिरफतारी के पंच साक्षी भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं करते हैं।

- अभिनेन्द्र सिंह उर्फ अभिनंदन सिंह अ.सा.-3 एवं राजेश अ.सा. 11. -8 को अभियोजन कथानक मृताबिक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, जिन्होंने आरोपीगण को लियाकत खां के साथ खींचतान करते हुए मौके पर देखा था । किन्तू उक्त दोनां साक्षियों ने भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है और इस बात से अभिनेन्द्र सिंह उर्फ अभिनंदन सिंह अ.सा.–3 ने इंकार किया है कि घटना के समय वह खेत की तरफ से पिपरसाना रोड पर आया था, तब गांव के लियाकत खां की आरोपीगण खींचतान कर रहे थे, जिन्हें गांव के विजय सिंह, रणवीर सिंह, रामनारायण और राजेश शर्मा के पहुंचते ही पकड लिया था । उसने इस बात से इंकार किया है कि जो दो लडके पकडे गये थे,उनमें से एक ने चाकू दिखाते हुए धमकाया था कि इधर आये तो चाकू पेल देगा । इस बात से भी इंकार किया है कि पकड़े गये लड़कों ने अपने नाम दिलीप और इंद्रपाल सिंह निवासी आलौरी का होना बताया था। इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी.-7 का कथन देने से भी इंकार किया है । इसी प्रकार राजेश अ.सा.–8 ने भी पुलिस को प्रदर्श पी.—11 का कथन देने से इंकार करते हुए कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है।
- 12. इस तरह से अभियोजन के उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण साक्षियों के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है और अब केवल प्रकरण में घटना के विवेचक ए.एस.आई. एम.एल. मौर्य अ०सा०–७७ का ही कथानक शेष है, इसलिये देखना होगा कि क्या उक्त विवेचक के

अभिसाक्ष्य से घटना प्रमाणित होती है या नहीं ।

- ए.एस.आई. एम०एल० मौर्य अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दि. 13. −08 / 06 / 2009 को थाना गोहद में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए कहा है कि उक्त दि. को थाना से सूचना मिलने पर वह प्रधान आरक्षक नरेन्द्र पाल सिंह और पृलिस बल के साथ शासकीय वाहन से ग्राम चितौरा बस स्टेण्ड गये थे । जहां फरियादी लियाकत खां ने आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की थी, जिसपर से उसने प्रदर्श पी.-1 की देहाती नालिसी क्रमांक-0/2009 धारा-393 भा०द०वि० और 11, 13 डकैती अधिनियम तथा धारा–25 बी आयुध अधिनियम के तहत लेखबद्ध की थी तथा आरोपी दिलीप सिंह के कब्जे से रामपुरी खटकेदार चाकू गवाहों के समक्ष प्रदर्श पी.—5 का जब्ती पत्रक बनाकर जब्त किया थाऔर दिलीप को प्रदर्श पी.-3 और इंद्ररपाल सिंह को प्रदर्श पी.—4 के गिरफतारी पंचनामा बनाकर गिरफतार किया था । फिर थाना लाकर देहाती नालिसी के आधार पर असल कायमी ए.एस.आई. जे०पी० पारासर के द्वारा प्रदर्श पी.-10 की गयी थी, जिनका निधन हो चुका है । ए०एस०आई० जे०पी० पाराशर के द्वारा घटना की विवेचना करना बताते हुए उनके द्वारा फरियादी लियाकत खां, साक्षी गिर्राज सिंह, राजेश, रणवीर, रामनारायण, अभिनेन्द्र सिंह उर्फ अभिनंदन सिंह के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना कहा है । इस प्रकार से उक्त साक्षी के द्वारा केवल देहाती नालिसी लेखबद्ध की गयी है और मौके की कार्यवाही करते हुए जब्ती व गिरफतारी की कार्यवाही की गयी है, किन्तु उके द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही से संबंधित प्रदर्श पी.—1 की देहाती नालिसी के वृतांत का न तो फरियादी लियाकत खां ने कोई समर्थन किया है, न ही साक्षी रामनाराण, रणवीर सिंह, राजेश शर्मा के द्वारा कोई समर्थन किया गया है तथा जब्ती गिरफतारी का भी पंच साक्षियों ने कोई समर्थन नहीं किया है, इसलिये उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्रदर्श पी.—1 की देहाती नालिसी या प्रदर्श पी.—3 व 4 के गिरफतारी पंचनामा और प्रदर्श पी.—5 का दिलीप से चाक् बरामदगी का जब्ती पत्रक प्रमाणित होता है ।
- 14. ए०एस०आई० जे.पी. पाराशर की जो विवेचना बतायी गयी है उसकी भी संबंधित साक्षियों ने कोई समर्थन नहीं किया है, क्योंकि अ. सा.—1 ने प्रदर्श पी.—2, अ.सा.—2 ने प्रदर्श पी.—6, अ.सा.—3 ने प्रदर्श पी.—7, अ.सा.—4 ने प्रदर्श पी.—8 और अ.सा.—6 ने प्रदर्श पी.—9 तथा अ.सा.—8 ने प्रदर्श पी.—11 के कथन पुलिस को देने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है, जिससे अभियोजन का कोई भी दस्तावेज संदेह से परे प्रमाणित नहीं है और अभिलेख पर ऐसी कोई सुदृण साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोपी दिलीपसिंह के द्वारा आयुध अधिनियम की धारा—1956 की धारा—4 के अंतर्गत म.प्र. शासन की अधिसूचना दि. —22/11/1974 के अंतर्गत बताया गया चाकू उसमें जब्त होना

प्रमाणित होता हो, इसलिये विचाराधीन कोई भी आरोप अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कतई प्रमाणित नहीं होता है । मामला पूरी तरह से संदिग्ध है, इसलिये आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा ।

- 15. अतः आरोपीगण दिलीप व इंद्रपाल को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी दिलीप सिंह को धारा 393/398 सहपठित धारा—34 भादिव व धारा—25 आयुध अधिनियम तथा धारा—11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आरोपी इंद्रपाल सिंह को धारा 393/398 सहपठित धारा—34 भादिव सहपठित धारा—11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. आरोपीगण दिलीप व इंद्रपाल सिंह के प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं ।
- 17. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति खटकेदार रामपुरी चाकू मूल्यहीन होने से विधि अपील अविध पश्चात नष्ट किया जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।
- 18. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांकः 14 जुलाई 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड